



बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

पटना, दिनांक...०३...०५...१३/

संख्या:- 15/570 स्त० स्त०-कैमूर (जापाल निर्माण)-०1/13-1196/र०

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव बबुरा परगना- चैनपुर थाना नं०- 496 थाना-भभुआ जिला- कैमूर (भभुआ) में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्- जिला पदाधिकारी के आवास निर्माण के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव- बबुरा थाना नं०- 496 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मान माप से कमी वेश- 4.76 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है।

सर्वे खेसरा संख्या :- पूर्ण खेसरा नं० 101, 100, 99, 96, 92, 563, 98, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 104, 103, 102 तथा अंश खेसरा नं० 105

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार से है:---

उत्तर:- सिवाना सिकठी नं० 498

पूरब:- भभुआ- मोहनियां सड़क

दक्षिण:- पूर्ण खेसरा नं० 107, 106, एवं अंश खेसरा नं० 105

पश्चिम:- सिवाना सिकठी नं० 498

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा-6 और अधिनियम, 18,1885 की धारा-3 के खण्ड(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, कैमूर(भभुआ) में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरकार के सचिव।

जिला भूमि अर्जन पदा०,

अपर समाहर्ता

समाहर्ता

ज्ञापांक...११९६/र०, पटना,

दिनांक...०३...०५...१३/

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को स्थानीय भाशा के दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने और प्रकाशित संस्कारण को इस कार्यालय एवं जिला भूमि अर्जन कार्यालय, कैमूर को यथा शीघ्र भेजने हेतु,

2-प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, कैमूर (भभुआ)को जिला गजट के अगले साधारण/असाधारण अंक में प्रकाशित कराने और इसकी (10) दस अतिरिक्त प्रतियां इस कार्यालय एवं जिला भूमि अर्जन कार्यालय, कैमूर (भभुआ) को प्रेषित करने हेतु

3-प्रतिलिपि:- समाहर्ता, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

4-प्रतिलिपि:- जिला भू-अर्जन पदा०, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।